जनपद मेरठ से प्रयागराज (सी0एच0–7+900 से 601+847 कि0मी0) तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में एन0पी0वी0 प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एन0पी0वी0 के रूप में जनपद मेरठ से प्रयागराज (सी0एच0–7+900 से 601+847 कि0मी0) तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग के मार्ग में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि हेतु इको जोन क्लास–III ऑपन फोरेस्ट रू0 1228590.00 प्रति हे0 की दर से रू0 2499198.00 की धनराशि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा जमा की जायेगी तथा भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की जो भी दर निर्धारित होती है तो उक्त धनराशि भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा जमा किया जायेगा।

04/7/22

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।